"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2008—माघ 26, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हुसैनलाल आत्मज श्री निर्भयराम साहू, जाति तेली; आयु 34 वर्ष, निवासी ग्राम डुमरडीह-कला, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं मैं अपने नाम को परिवर्तित कर हुकूमलाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे हुकूमलाल आत्मज श्री निर्भयराम साहू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

हुसैनलाल
आत्मज- श्री निर्भयराम साहू
निवासी-डुमरडीहकला
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

हुकूमलाल
आत्मज- श्री निर्भयराम साहू
निवासी-डुमरडीहकला
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं पंजीयक लोक न्यास, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ. ग.)

प्ररूप क्र. 5

[नियम 5 (1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

महासमुंद, दिनांक 18 जनवरी 2008

लोक न्यासों के पंजीयक महासमुंद जिला महासमुंद के समक्ष

क्रमांक/53/पंलोन्या/08.—यत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब, इसलिए, मैं डी. एल. वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोक न्यासों का पंजीयक, महासमुंद जिला मेरे न्यायालय में 2008 के जनवरी माह के 18 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम/पता : रूद्र यज्ञ समिति सिरपुर, तहसील व जिला महासमुंद छ. ग.

(2) अचल संपत्ति : ग्राम तेंदूवाही, प. ह. नं. 01, रा. नि. मं. पटेवा में स्थित भूमि—

खसरा नंबर	रकबा	लगान
15	0.48	12.00
41	0.21	
72	2.39	
193	2.28	
208	0.47	
225	0.23	
239	0.47	
391	2.02	
योग 8	**8.55 हे.**	**12.00 रुपये**

(3) चल संपत्ति :

क्रमांक	सामग्री विवरण	मात्रा	राशि (रुपयों में)
1.	दरी	6 नग	5000.00
2.	तालपत्री	2 नग	2000.00
3.	गद्दा	1 नग	200.00
4.	चादर	1 नग	100.00
5.	कड़ाही	2 नग	300.00
6.	पीतल बड़े बांगा	3 नग	1000.00
7.	पीतल छोटे बांगा	2 नग	300.00
8.	स्टील थाली	8 नग	300.00
9.	स्टील गिलास	12 नग	150.00
10.	स्टील करछूल	3 नग	100.00
11.	स्टील चम्मच	3 नग	50.00
12.	स्टील जग	2 नग	100.00
13.	स्टील प्लेट	5 नग	200.00
14.	स्टील कटोरी	10 नग	200.00
15.	लोहा तावा	2 नग	100.00
16.	चौकी बेलना	2 नग	100.00
17.	पूजा बर्तन	9 नग	200.00
18.	पीतल कोपरा	2 नग	400.00
19.	छोटे पाल कपड़ा का	1 नग	100.00
20.	नगद राशि (बैंक में जमा)		5000.00
		योग	**15900.00**

डी. एल. वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक/उपंक/परि./2007/656.—संघर्ष मछुआ सहकारी समिति मर्या., पोडी, पं. क्र. 329, जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-2005, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 579 दिनांक 01-10-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/05-01-99 पन्द्रह-1 डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संघर्ष मछुआ सहकारी समिति मर्या., पोडी, पं. क्र. 329 को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री व्ही. के शर्मा, पद वरिष्ठ सह. निरी. को संघर्ष सहकारी समिति मर्या., पोंडी, पं. क्र. 329 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 19-11-07 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक/उपंक/परि./2007/657.—मानस बुनकर सहकारी समिति मर्या., पंडरिया, पं. क्र. 3106, जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-2005, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 580 दिनांक 01-10-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् में जवाब प्रस्तुत किया गया है. जो समाधान कारक प्रतीत नहीं होता है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/05-01-99 पन्द्रह-1 डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मानस बुनकर सहकारी समिति मर्या., पंडरिया, पं. क्र. 3106 को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. एस. नायक, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, पंडरिया को मानस बुनकर सहकारी समिति मर्या., पंडरिया, पं. क्र. 3106 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 19-11-07 को जारी किया गया है.

एस. के. तिग्गा,
सहायक पंजीयक एवं
प्रभारी उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगाव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.